गोविन्दगर बनाम अशोककुमार आदि

प्रकरण सं. 38/2022 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09.09.2025	प्रार्थीया सन्तोषदेवी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी गोविन्दगर उपस्थित। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के नाम सांझा खाता में दर्ज है उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा ना ही प्रार्थीया के खिलाफ कोई अनुतोष प्रार्थी गोविन्दगर द्वारा चाहा गया है परन्तु स्थगन का नोट जमाबन्दी में होने से प्रार्थीया प्रभावित होते है इसलिये प्रार्थीया के हिस्सा से स्थगन मुक्त किये जाने के आदेश दिये जावे। वकुलाए फरिकैन को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 21.03.2022 को जारी स्थगन आदेश अप्रार्थी सं. 1 ता 28 के खिलाफ वादग्रस्त भूमि में दखल अन्दाजी ना करने व कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जारी किया गया है उक्त स्थगन आदेश प्रार्थीया सन्तोषदेवी के खिलाफ या उनके हिस्सा पर जारी नहीं किया गया है। अगर प्रार्थीया सन्तोषदेवी पत्नी सुरेशकुमार अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन बैय या खाता विभाजन आदि कार्य करते है तो स्थगन प्रभावित नहीं होगा। शेंष अंकन पूर्व आदेशानुसार ही रहेगा। पत्रावली आईन्दा तारीख 29.09.2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
29.9.2025	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU [illegible] हैं। पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 09.12.2025 को पेश हो। [signature]	
09.12.2025	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU [illegible] हैं। पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 9.2.2026 को पेश हो। [signature]	
9.2.2026	बार संघ का कार्य स्थगन होने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.4.2026 को पेश हो।	
16.4.2026	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] हाजिर नहीं। प्रार्थना पत्र [illegible] अदम हाजरी [illegible] पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.04.29 13:03:29 IST
Reason: SelfAttested